रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226253
CG-DL-E-30032021-226253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943
No. 176] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सा.का.नि. 225(अ).–केन्द्रीय सरकार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 2 के, उप-नियम (1) में, -

(i) खंड (ख) में, शब्द "की उप-धारा (1) में यथा परिभाषित प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "में यथा उपबंधित अपीली बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(घक) "जर्नल" से प्रतिलिप्यधिकार जर्नल अभिप्रेत है, जो प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है;"

3. मूल नियम के, अध्याय 2 में, "प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" शीर्षक के स्थान पर "अपीली बोर्ड" शीर्षक रखा जाएगा।

4. मूल नियम के, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. अपीली बोर्ड– बोर्ड के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा;

परंतु, अधिनियम के उद्देश्यों के लिए बोर्ड का तकनीकी सदस्य अधिकरण, अपीली अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो"।

5. मूल नियम के, नियम 7 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को" शब्दों के पश्चात, "इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अथवा" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (5) में, "प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति का संदाय यथासंभव शीघ्र राजपत्र और प्रतिलप्यधिकार कार्यालय तथा बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित होगी" शब्दों के स्थान "पर प्रत्येक ऐसी प्रदान की गई अनुज्ञप्ति यथासंभव शीघ्र जर्नल में और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी", शब्द रखे जाएंगे.

6. मूल नियम के, नियम 11 में,-

(i) उप-नियम (4) में, हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) उप-नियम (6) में, "राजपत्र में और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित होगी" शब्दों के स्थान पर "जर्नल में और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी", शब्द रखे जाएंगे।

"शब्दों के स्थान पर, प्रत्येक ऐसी प्रदान की गई अनुज्ञप्ति यथासंभव शीघ्र जर्नल और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, शब्द रखे जाएंगे.

7. मूल नियम के, नियम 16 में, "यदि धारा 31 क की उपधारा (6) के अधीन किसी अनुरोध के करने का विनिश्चय करती है" शब्दों के स्थान पर, "धारा 31 क की उपधारा (6) के अधीन यथा अपेक्षित", शब्द रखे जाएंगे

8. मूल नियम के, नियम 18 में,-

(i) उप-नियम (1) में, दोनों स्थानों पर "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील" शब्दों के पूर्व, "इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अथवा" शब्द से अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (5) में, "राजपत्र और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय तथा बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित होगी" शब्दों के स्थान पर, "जर्नल में और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी" शब्द रखे जाएंगे।

9. मूल नियम के, नियम 19 में, दोनों स्थानों पर "प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा.

10.मूल नियम के, नियम 23 के, उप-नियम (1) में, दूसरे परंतुक में, "राजपत्र" शब्द के स्थान पर, "जर्नल" शब्द रखा जाएगा ।

11. मूल नियम के, नियम 27 के,उप-नियम (2) में, "राजपत्र" शब्द के स्थान पर, "जर्नल" शब्द रखा जाएगा ।

12. मूल नियम के, नियम 29 के,उप-नियम (1) के, अंतिम परंतुक में, "राजपत्र" शब्द के स्थान पर,"जर्नल" शब्द रखा जाएगा ।

13. मूल नियम के, नियम 31 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "अपने गठन के पश्चात" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (2) में, "राजपत्र" शब्द के स्थान पर, "जर्नल" शब्द रखा जाएगा ।

(iii) उप-नियम (3) में, "सार्वजनिक सूचना" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी सूचना" शब्द रखे जाएंगे।

14. मूल नियम के, नियम 33 के, उप-नियम (1) में "राजपत्र" शब्द के स्थान पर, "जर्नल" शब्द रखा जाएगा ।

15. मूल नियम के, नियम 34 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "राजपत्र" शब्द के स्थान पर, "जर्नल" शब्द रखा जाएगा ।

(ii) उप-नियम (3) में, "राजपत्र" शब्द के स्थान पर, "जर्नल" शब्द रखा जाएगा;

(iii) उप-नियम (6) में, "राजपत्र में और ऐसे समाचार पत्रों में यदि कोई हों, जिसमें नियम 33 के अधीन सूचना प्रकाशित की गई थी, अधिसूचित" शब्दों के स्थान पर, "जर्नल में और ऐसे समाचार पत्रों में, यदि कोई हों, जिसमें नियम 33 के अधीन सूचना प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित" शब्द रखे जाएंगे।

16. मूल नियम के, नियम 39 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "आवेदन की एक प्रति" शब्दों के पश्चात, "इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अथवा" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (5) में, "राजपत्र में अधिसूचित" शब्दों के स्थान पर, "जर्नल में प्रकाशित" शब्द रखे जाएंगे।

17. मूल नियम के, नियम 49 के, उप-नियम (1) में, "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ अस्सी दिन" शब्द रखे जाएंगे।

18. मूल नियम के,नियम 50 के,उप-नियम (2) में,खंड(क) में, "भारत सरकार के उप सचिव की पंक्त से अनिम्न "शब्दों का लोप किया जाएगा ।

19. मूल नियम के, नियम 55 में,-

(i) उप-नियम (2) में,"नियम 71" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "नियम 67" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात,निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी, इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन रॉयल्टी एकत्र करने और उप-नियम (2) के अधीन रॉयल्टी के वितरण के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदाय करने की एक प्रणाली का सृजन करेगी और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करेगी जिससे इस प्रकार किए गए संदाय का पता लगाया जा सके" ।

20. मूल नियम के, नियम 56 के, उप-नियम (1) में, "विरचना" शब्द के पश्चात "और प्रकाशित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

21. मूल नियम के,नियम 58 में,उप-नियम (10) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

(11) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाँ उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रॉयल्टी का वितरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि संबद्ध लेखक या अन्य स्वत्वधारी की पहचान या पता नहीं किया जा सका, तो ऐसी रॉयल्टी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के लेखा में अलग रखी जाएगी।

(12) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे और प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी वेबसाइट पर निम्न सूचना अवश्य प्रकाशित करनी होगी:

(क) कार्य का शीर्षक;

(ख) लेखक और अन्य स्वत्वधारियों के नाम, जैसा उपलब्ध हो; और

(ग) कोई अन्य संगत सूचना जो अधिकार धारकों की पहचान में सहायता करे।

(13) जिस वित्तीय वर्ष में रॉयल्टी संग्रहित हुई है, उसकी समाप्ति से तीन वर्ष की अवधि तक यदि लेखक और अन्य स्वत्वधारियों को दी जाने वाली रॉयल्टी अवितरित रहती है तो प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस रकम को प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की कल्याण निधि में अंतरित कर देगी।

22. मूल नियम के, नियम 59 में, उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा जाएगा, अर्थात्: -

"(7) शासी परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का निर्वाचन दो वर्षों की पदावधि के लिए किया जाएगा और वे पुन:र्निर्वाचित होने के पात्र होंगे"।

23. मूल नियम के, नियम 62 में, खंड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,अर्थात: –

"(ix) नियम 65क के अधीन यथाउपबंधित वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट ।

24. मूल नियम के, नियम 64 में, प्रशासनिक कार्यालय में शब्दों के पश्चात "भौतिक या डिजिटल रुप में" शब्दों अंतःस्थापित किए जाएँगे।

25. मूल नियम के,-

(i) नियम 65 में, खंड (vii) के पश्चात, निम्नलिखित नए खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामत: –

"(viii) नियम 65क के अधीन यथाउपबंधित वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट

(ii) नियम 65 के पश्चात, निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

65क. वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट—(1) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर उस वित्तीय वर्ष के लिए एक विशेष रिपोर्ट की रूपरेखा बनाकर उसे सार्वजनिक करेगी जिसे वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट कहा जाएगा। प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट कम-से-कम तीन वर्षों तक उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहे।

(2) वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट में निम्न सूचनाएं अंतर्विष्ट होनी चाहिए अर्थात्:—

(क) वित्तीय वर्ष में क्रियाकलापों पर रिपोर्ट;

(ख) अनुज्ञति प्रदान करने से अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या;

(ग)कुल एकत्रित रॉयल्टी की वित्तीय सूचना;

(घ) लेखक और अन्य स्वत्वधारियों को संदत्त कुल रॉयल्टी;

(ङ) एकत्र की गई लेकिन लेखक और अन्य स्वत्वधारियों को अभी तक प्रदान नहीं की गई कुल रॉयल्टी;

(च) एकत्र की गई रॉयल्टी से की गई कुल प्रशासनिक कटौतियां;

(छ) नियम 67 के अधीन यथा उपबंधित कल्याण स्कीम के अधीन संचालित क्रियाकलापों के लिए कटौती की गई रकमों के ब्यौरे और उपयोग और

(ज) विदेशी सोसायटीज या संगठनों से प्राप्त और उन्हें संदत्त की गई रकम की सूचना।

26. मूल नियम में, नियम 66 के उप-नियम (1) के खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात–

"(ड) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के प्रदर्शनों की सूची के भाग के रूप में कार्य के डाटाबेस से खोज की सुविधा;

(ढ) साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट; और

(ण) उन लेखकों और अन्य स्वत्वधारियों के कार्य के मद्दे अवितरित रॉयलटियों के ब्यौरे जिनकी पहचान या पता नहीं किया जा सका",

(ii) उप-नियम (6) में, "ऑनलाइन" शब्द का लोप किया जाएगा;

27. (i) मूल नियम में, नियम 69 के उप-नियम (1) में, -

(1) "भौतिक और इलेक्ट्रोनिक" शब्दों के स्थान पर, "भौतिक अथवा इलेक्ट्रोनिक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) भाग VI में, "सारणियां और संकलन जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर डाटाबेस हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा।

28. मूल नियम में, नियम 70 के, उप-नियम (5) में, "सोर्स और ऑब्जेक्ट कूट" शब्दों के स्थान पर, "स्रोत कूट के न्यूनतम प्रथम 10 और अंतिम 10 पृष्ठ अथवा पूरा स्रोत कूट यदि 20 पृष्ठ से कम हो, जिसमें कोई अवरोधित/या संशोधित अंश न हो," शब्द रखें जाएंगे।

29. (i) मूल नियम में, नियम 72 के, -

(i) उप-नियम (1) में, "भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों" शब्दों के स्थान पर, "भौतिक अथवा इलेक्ट्रोनिक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा ।

30. मूल नियम के, अध्याय 16 का लोप किया जाएगा ।

31.मूल नियम के, नियम 82 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"82. प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, आदि द्वारा संप्रेषण का ढंग - बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक लिखित सूचना को किसी व्यक्ति को सम्यकत: अंप्रेषित किया गया समझा जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति के ज्ञात पते पर ऐसी सूचना को इंलैक्ट्रॉनिक साधनों से या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा गया है"।

32. मूल नियम के, नियम 83 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"83. शुल्क- (1) इस अधिनियम और नियमों के अधीन आवेदनों तथा किन्ही अन्य विषयों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीस दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(2) जहाँ किसी मामले के संबंध में, नियमों के अधीन शुल्क संदत्त किया जाना अपेक्षित हो तो, उस प्ररूप या आवेदन या उसकी याचिका के अनुरोध के साथ विहित फीस दी जाएगी।

(3) फीस का संदाय इलेक्ट्रोनिक या मांग ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से रजिस्ट्रार, प्रतिलिप्यधिकार, के नाम से नई दिल्ली में किसी अनुसूचित बैंक पर किया जाएगा।

(4) जहाँ फीस का भुगतान किसी दस्तावेज़ को फाइल करने के लिए किया जाना हो और जहाँ दस्तावेज़ बिना फीस के या अपर्याप्त फीस के साथ फाइल किया गया है, तो ऐसे दस्तावेज़ को इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के उद्देश्य के लिए फाइल नहीं किया गया समझा जाएगा।

(5) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर या इंडेक्स से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शासकीय

उद्देश्य से लिए गए उद्धरण के लिए कोई फीस संदत्त करना अपेक्षित नहीं है।"

33. मूल नियम की पहला अनुसूची में,-

(i) प्ररूप 2,3,5,6 और प्ररूप 7 में,-

(क) रजिस्ट्रार "प्रतिलिप्यधिकार के पंजीकार/" शब्दों व विराम चिह्नों का, जहां कहीं वे आते हैं, उनका लोप किया जाएगा;

(ख) जहां कहीं भी "प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" शब्दों के, स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "अपीली बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) जहां कहीं भी "प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय" शब्दों का, जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

(ii) प्ररूप 14 में, "प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2012" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

34. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्या 9 के खंड (ख) में, -

(i) "साहित्यिक या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "माल" शब्द के पश्चात्, "या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएगे।

35. मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची में, क्रम संख्या 10 के खंड (ख) में,-

(i)"साहित्यिक या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii)"माल" शब्द के पश्चात्,"या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे।

36. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.पी-24029/62/2020-आईपीआर-VII]

शैलेंद्र सिंह, अपर सचिव

नोट: मूल नियम के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 172(अ), तारीख 14 मार्च, 2013 में प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 788 (अ), तारीख 10 अगस्त, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

G.S.R 225(E).—In exercise of the powers conferred by section 78 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Copyright Rules, 2013, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Copyright (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Copyright Rules, 2013 (herein after referred to as the principal rules) in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) in clause (b) for the words "a Copyright Board as defined in sub-section (1) of " the words "the Appellate Board as provided in" shall be substituted;

(ii) after clause (d), the following shall be inserted, namely: –

"(da) "journal" means the Copyright Journal, made available at the official website of the Copyright Office;".

3. In the principal rules, in Chapter II, for the title "THE COPYRIGHT BOARD" the title "THE APPELLATE BOARD" shall be substituted.

4. In the principal rules, for the rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Appellate Board.–The Chairman and other members of the Board shall be appointed as per the provisions of the Trade Marks Act, 1999;

Provided that the Technical Member of the Board for the purposes of the Act shall have the qualifications as specified in the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020".

5. In the principal rules, in rule 7,-

(i) in sub-rule(1), after the words "the owner of the copyright", the words "through electronic means or" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (5), for the words "notified in the Official Gazette", the words "published in journal" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 11,-

(i) in sub rule (4), for the words "Register of Copyrights", the words "Registrar of Copyrights" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (6), for the words "notified in the Official Gazette and", the words "published in journal" shall be substituted.

7. In the principal rules, in rule 16, for the words "if decides to make a request", the words "as required" shall be substituted.

8. In the principal rules, in rule 18,-

(i) in sub-rule (1), after the words "shall be served" on both places where they occur, the words "through electronic means or" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (5), for the words "notified in the Official Gazette", the words "published in journal" shall be substituted.

9. In the principal rules, in rule 19, for the words "Copyright Board", on both the places where they occur, the word "Board" shall be substituted.

10. In the principal rules, in rule 23, in sub-rule (1), in second proviso, for the words "Official Gazette", the word "journal" shall be substituted.

11. In the principal rules, in rule 27, in sub-rule (2), for the words "Official Gazette", the word "journal" shall be substituted.

12. In the principal rules, in rule 29, in sub-rule(1),in the last proviso, for the words "Official Gazette", the word "journal" shall be substituted.

13. In the principal rules, in rule 31,-

(i) In sub-rule(1), the words "immediately after its constitution" shall be omitted;

(ii) in sub rule (2), for the words "Official Gazette", the word "journal" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (3), for the words "public notice", the words "such notice" shall be substituted.

14. In the principal rules, in rule 33, in sub-rule(1), for the words "Official Gazette", the word "journal" shall be substituted.

15. In the principal rules, in rule 34,-

(i) in sub-rule(1), for the words "Official Gazette", the word "journal" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the words "Official Gazette", the word "journal" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (6), for the words "notified in the Official Gazette" the words "published in journal" shall be substituted.

16. In the principal rules, in rule 39,-

(i) in sub-rule(1), after the words "application shall be served", the words "through electronic means or" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (5), for the words "notified in the Official Gazette", the words "published in journal" shall be substituted.

17 In the principal rules, in rule 49, in sub-rule (1),for the words "sixty days", the word "one hundred and eighty days" shall be substituted.

18. In the principal rules, in rule 50, in sub-rule(2),in clause(a), the words "not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India" shall be omitted.

19. In the principal rules, in rule 55,-

(i) in sub-rule(2), for the words and figures, "rule 71" the words and figures "rule 67" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (2),the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The copyright society in relation to collection of royalty under sub-rule (1) and distribution of royalty under sub-rule (2) of this rule, shall create a system of payment through electronic modes and shall establish a system through which the payments so made are traceable."

20. In the principal rules, in rule 56, in sub-rule(1), after the word "frame" the words "and publish" shall be inserted.

21. In the principal rules, in rule 58, after sub-rule(10), the following sub-rules shall be inserted, namely: –

"(11) A copyright society must ensure that where the royalty cannot be distributed within the time specified in sub-rule (8) as the relevant author or other owner could not be identified or located; such royalties are kept separate in the accounts of the copyright society.

(12) A copyright society must take all necessary measures to identify and locate the authors and other owners and must publish on its website, at the end of every quarter, the following information:

(a) the title of the work;

(b) the name of the author and other right owners of the work, as available; and

(c) any other relevant information available which could assist in identifying the right holder.

(13) In case the royalty due to author and other owners remains undistributed at the end of the period of three years from the end of the financial year in which collection of the royalty occurred, the copyright society shall transfer such amount to the welfare fund of the copyright society.

22. In the principal rules, in rule 59, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(7) The Chairman and other members of the Governing Council shall be elected for a term of two years and shall be eligible for re-election".

23. In the principal rules, in rule 62, after clause (viii), the following new clause shall be inserted, namely:–

"(ix) The annual transparency report as provided under rule 65A".

24. In the principal rules, in rule 64, after the words "maintain the following registers" the words "in physical or digital format," shall be inserted.

25. In the principal rules,-

(i) in rule 65, after clause(vii),the following new clause shall be inserted, namely:–

"(viii) The annual transparency report as provided under Rule 65A.";

(ii) after rule 65, the following new rule shall be inserted, namely:

"65A. Annual transparency report. —(1) The copyright society must draw up and make public a special report to be referred to as the annual transparency report for each financial year within six months following the end of that financial year. The copyright society shall publish on its website the annual transparency report and ensure that the annual transparency report remains available on its website for at least three years.

(2) The annual transparency report must contain the following information, namely:—

(a) report on the activities in the financial year;

(b) number of refusals to grant a licence;

(c) financial information on total royalties collected;

(d) the total royalties paid to author and other owners;

(e) the total royalties collected but not yet attributed to author and other owners;

(f) the total administrative deductions made from royalty collected;

(g) the details and use of the amounts deducted for the activities conducted under the welfare scheme as provided under rule 67; and

(h) Information on amounts received from and paid to the foreign societies or organisation".

26. In the principal rules, in rule 66, in sub-rule (1),after clause(l), the following new clauses shall be inserted, namely:–

“(m) the facility to search from the database of works forming part of the repertoire of the copyright society;

(n) the annual transparency report as approved by the General Body; and

(o) the details of the undistributed royalties on account of the work belonging to authors and other owners who could not be identified or located”.

27. In the principal rules, in rule 69, in sub-rule (1),-

(i) for the words, “physical and electronic”, the words “physical or electronic” shall be substituted;

(ii) in Part VI, the words “tables and compilations including computer databases” shall be omitted.

28. In the principal rules, in rule 70, in sub-rule(5), for the words “the source and object code”, the words “at least first 10 and last 10 pages of source code, or the entire source code if less than 20 pages, with no blocked out or redacted portions”, shall be substituted.

29. In the principal rules, in rule 72,-

(i) in sub-rule(1), for the words “both in physical and electronic”, the word “in physical or electronic” shall be substituted;

(ii) sub-rule (2) shall be omitted.

30. In the principal rules, CHAPTER XVI, shall be omitted.

31. In the principal rules, for rule 82, the following rule shall be substituted, namely:-

“82. Mode of Communication by the Copyright Office, etc.— Every written intimation from the Board, the Copyright Office or the Registrar of Copyrights shall be deemed to have been duly communicated to any person if such intimation is sent to the known address of such person through electronic means or by registered post.”

32. In the principal rules, for rule 83 the following rule shall be substituted, namely:-

“83. Fees.- (1) The fees to be paid in respect of applications or any other matters under the Act and the rules shall be those as specified in the Second Schedule.

(2) Where in respect of any matter, a fee is required to be paid under the rules, the form or the application or the request of the petition thereof, it shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) Fees may be paid electronically or by demand draft or Banker's Cheque in favour of the Registrar of Copyrights drawn on a scheduled bank at New Delhi.

(4) Where a fee is payable in respect of filing of a document and where the document is filed without such fee or with insufficient fee, such document shall be deemed not to have been filed for the purposes of any proceedings under these rules.

(5) No fee is required to be paid for taking extracts from Register of Copyrights or indexes for official purposes by the Central Government or the State Government.

33. In the principal rules, in the First Schedule,-

(i) in FORMS II, III, V, VI and VII,-

(a) the words and punctuation “Registrar of Copyrights/”, wherever they occur, shall be omitted;

(b) for the words “Copyright Board” wherever they occur, the words “Appellate Board” shall be substituted;

(c) the words “Copyright Office” wherever they occur, shall be omitted;

(ii) in Form XIV, for the words and figures "the Copyright Rules, 2012", the words and figures, "the Copyright Rules, 2013", shall be substituted.

34. In the principal rules, in SECOND SCHEDULE, in serial number 9, in clause (b),-

(i) the word “Literary or” shall be omitted;

(ii) after the word "goods", the words "or services" shall be inserted.

35. In the principal rules, in SECOND SCHEDULE, in serial number 10, in clause (b),-

(i) the word "Literary or" shall be omitted;

(ii) after the word "goods", the words "or services" shall be inserted.

36. In the principal rules, in SECOND SCHEDULE, serial number 19 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No. P-24029/62/2020-IPR-VII]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(i) vide notification number G.S.R. 172(E), dated the 14th March, 2013 and last amended vide notification number G.S.R. 788(E),dated the 10th August, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.30 22:47:43 +05'30'